हरियाणा सरकार

अनुसूचित जातियॉ एव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति एंव अन्य पिछडे वर्ग

अनुसूचित जाति एंव अन्य पिछडे वर्ग के छात्र/छात्राओं के ध्यानार्थ

घर से ही भरे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतू आवेदन पत्र

केन्द्रीय प्रायोजित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति एंव अन्य पिछडे वर्ग के अन्तर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति, विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध–घुमन्तू जातियों एवं अन्य पिछडे वर्ग के पोस्ट मैट्रिक से पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं तक पढने वाले सभी विद्यार्थी जिनके माता–पिता/अभिभावकों की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय अनुसूचित जाति के छात्रों हेतू 2.50 लाख रुपये, विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध–घुमन्तू जातियों के (इस बारे अलग से प्रमाण–पत्र संलग्न करने पर) छात्रों हेतू 2.00 लाख रुपये एवं अन्य पिछडे वर्ग के छात्रों हेतू 1.00 लाख रुपये से अधिक न हो, को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। घुमन्तू/अर्ध–घुमन्तू तथा टपरीवास जातियो में से जो अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति की श्रेणी में शामिल नही हैं उन्हें भी छात्रवृति प्रदान की जाएगी।

प्रतिवर्ष छात्रों से विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते थे। **वर्ष 2017–18 में उक्त स्कीमों के अन्तर्गत छात्र अपने आवेदन पत्र ऑन–लाइन (on-line) ही भर सकते है।** अतः हरियाणा निवासी सभी छात्रों जो विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयो/तकनीकी संस्थानों/मैडिकल संस्थानों व आई0टी0आई0 से डिग्री/डिप्लोमा कर रहे है (रैन्यूवल केसों सहित) और स्कीम अनुसार छात्रवृति के पात्र है वे छात्र वर्ष 2017–18 की छात्रवृति प्राप्त करने हेतु **आवेदन पत्र घर बैठे/ऑन–लाइन (on-line)** भरे। मैनुअली (Manually) भरे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएगे।

सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किये बगैर तुरन्त **ऑन–लाइन (on-line)** फार्म भरें। छात्रवृति पहले आओ – पहले पाओ के आधार पर स्वीकृत की जाएगी। किसी भी मध्यस्थ/एजैन्ट के चक्कर में ना पड़े तथा किसी को अपनी बैंक पास बुक, ए0टी0एम0, खाता नम्बर एवं प्रमाण पत्र न दें क्योंकि इनके आधार पर कोई आपके प्रमाण–पत्रों का गलत प्रयोग कर सकता है ऐसे विवाद की स्थिति में पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी। आवेदन करने से पूर्व छात्र यह सुनिश्चित कर लें कि आप ने अंतिम रूप से उस संकाय में दाखिला लेने का निर्णय ले लिया है क्योंकि एक से अधिक संकाय में छात्रवृति हेतू आवेदन करने की अनुमति नही दी जाएगी। यदि कोई छात्र एक से अधिक बार अलग–2 कालेजों से आवेदन करता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

जो छात्र अपना आवेदन पत्र भरना चाहते हैं वे अपने शैक्षणिक संस्थान को भी रजिस्टर्ड करने को कहे। आवेदन–पत्र भरने हेतु विभागीय वैबसाईट http://www.hryscbcschemes.in पर आवेदन करें । चैक लिस्ट देखने ना भूलें । छात्रो को यदि स्वयं आवेदन पत्र भरने /अपलोड करवाने में कोई कठिनाई आ रही हो तो अपने जिले से सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कागजात सहित सहायता हेतू सम्पर्क कर सकते है । आवेदन पत्र भरने / अपलोड करने हेतु विभागीय वैबसाईट दिनॉक 20.11.2017 से 31.12.2017 तक खुली रहेगी। किसी भी प्रकार असुविधा की स्थिति में आप जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में तथा समाधान ना होने पर निदेशालय में स्थित हैल्प लाईन नं0 0172–2707009 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं ।

(गीता भारती, आई.ए.एस.)

निदेशक,

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग

कल्याण विभाग, हरियाणा,

चण्डीगढ।

दूरभाष नं0: 0172–2707009